न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री रोहित कुमार, आर.ए.एस

...ा न0 राजस्व प्रकरण 118/2017

...र्थीगण :-

1. पेमाराम पुत्र श्री खेताराम जाति भील निवासी बुडीवाडा तहसील पचपदरा जिला बाड...

बनाम

विप्रार्थीगण :-

1. चेलाराम पुत्र रदाराम
2. गुलाबाराम पुत्र रदाराम
3. अचलाराम पुत्र रदाराम
4. कानाराम पुत्र रदाराम
5. पांचीदेवी पत्नि रदाराम जाति भील
6. सांगसिह पुत्र लालसिंह
7. जेठुसिंह पुत्र लालसिंह
8. लुणसिंह पुत्र जालमसिंह जाति राजपूत
9. बाण्डाराम पुत्र धोकाराम जाति भील
10. आदुराम पुत्र भगवानजी जाति देवासी
11. अजाराम पुत्र मसराराम
12. वोताराम पुत्र मसराराम जाति भील
13. उकसिंह पुत्र गणपतसिंह जाति राजपूत
14. नपासिंह पुत्र पुंजराजसिंह रावणा राजपूत
15. देदाराम पुत्र कोजाराम जाति मेगवाल
16. मांगाराम पुत्र कोजाराम जाति मेगवाल सभी निवासीयान बुडीवाडा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर (राज)

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान रा0भू रा0 अधि0
बाबत पत्थरगढी व नेखमबंदी करवाने हेतु</u>

उपस्थित :-

1 श्री सुरेशनारायण प्रार्थीगण वकील

'आदेश'

दिनांक :-3.12.2019

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने खेत के पत्थरगढी हेतु निवेदन किया। प्रस्तुत प्रकरण मे संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी का खेत सरहद मौजा खेत खसरा न0 1054/455 रकबा 08.13 बीघा, ख.स 1108/579 रकबा 0902 बीघा कुल रकबा 17.15 बीघा मौजा बुडीवाडा एवं खसरा न 1110/583 रकबा 14 बीघा सरहद मौजा मौडाउ तहसील पचपदरा जिला बाडमेर मे स्थित है। ।विप्रार्थीगण सख्या -1 ता 17 उपरोक्त खातेदारी भूमि के सेढा पडोसी है। विप्रार्थीगण स. 1 ता

Scanned by CamScanner

खेत सेढ़ा पडौसी होने से वरसात के समय में प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में अक्सर सेढों को विवाद करते रहते है।

प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण खातेदारी भूमि की सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पैमाईश एवं नेखवंदी करवाना चाहते है।प्रार्थीगण ने पेमाईश एवं नेखबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण की दरखास्त दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस दिनांक 28.3.2017 को तलब किया गया। विप्रार्थीगण को सम्मन पुनः जरिये रजिस्टर्ड नोटिस भेजे गये जो बाद तामिल के बावजूद अनुपस्थित अतः उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही कि जाती है।

प्रार्थी वकील की एकपक्षीय की बहस को सुना गया। विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश एवं नेख्मवंदी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदारी काश्तकार राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगणकी दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि का पेमाईश एवं नेख्मबदी करने हेतु भूमापक भू0निरीक्षक जसोल को नियुक्त किया जाता है। भूमापक कर्ता को निर्देश दिये जाते है कि यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो वो दोनो पक्षों के रूबरू किसी मुस्तकील/ स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व भूमापककर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है । भूमि की मौके की स्थिति मे परिवर्तन किये बिना नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। तहरीर जारी हों भू–मापक आयुक्त का खर्चा प्रार्थी नियमानुसार अदा करे।

(रोहित कुमार)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी) बालोतरा

Scanned by CamScanner